समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी– 4312/2018/भोपाल/भू.रा.

निगरानी प्रकरण कमांक /पीबीआर/ 2018

1. श्रीमति सावित्री साहू,
   आयु लगभग 55 वर्ष
   पत्नी स्व. श्री छगनलाल
2. विनोद साहू, आयु लगभग 40 वर्ष
3. प्रमोद साहू, आयु लगभग 35 वर्ष
4. सरिता साहू आयु लगभग 30 वर्ष
5. ललिता साहू आयु लगभग 26 वर्ष
6. पंकज साहू आयु लगभग 24 वर्ष
7. सुरूचि साहू, आयु लगभग 20 वर्ष
   सभी पुत्र पुत्रीगण – स्व. श्री छगनलाल साहू
   निवासीगण– म.नं. 38, बाजार बस्ती,
   ग्राम कोकता, तहसील हुजूर,
   जिला भोपाल .... आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्रवीण किशोर गुप्ता, (मृत)
   आत्मज श्री के.के. गुप्ता
2. आदित्य विजय सिंह,
   आत्मज श्री विजय शंकर
3. रणधीर किशोर गुप्ता
   आत्मज श्री के.के. गुप्ता
   सभी निवासीगण ग्राम कोकता, तहसील हुजूर,
   जिला भोपाल .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29.05.2018 एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकरण संबंधी प्रकिया पारित व्दारा तहसीलदार महोदय, नजूल वृत गोविन्दपुरा, भोपाल अंतर्गत प्रकरण कमांक 45/अ–12/17–18 पक्षकारगण ए.बी.सिंह जैन व अन्य ।

आवेदकगण की ओर से निवेदन है कि :–

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण व्दारा ग्राम कोकता तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा कमांक 36/1, 36/2 एवं

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4392/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नजूल गोविन्दपुरा वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	